

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय
 महानदी भवन, नया रायपुर
 //आदेश//

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2014

क्रमांक-एफ-1-61/2014/सात-4 --- राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को प्रशासनिक/स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित करते हुए, उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये कालम-4 अनुसार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर के विकल्प पर पदस्थ करता है :-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
01	02	03	04	05
1.	श्री प्रकाश सिंह ठाकुर,	भू-अभिलेख शाखा धमतरी	जिला-बेमेतरा	स्वयं के व्यय पर
2.	श्री अशोक कुमार	जिला-कबीरधाम	डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव	प्रशासनिक
3.	श्री जी.एल. बनपाल	भू-अभिलेख शाखा बलौदाबजार	जिला-बालोद	स्वयं के व्यय पर
4.	श्री रेवाराम प्रजापति	जिला-दुर्ग	जिला-बालोद	प्रशासनिक
5.	श्री तिलक राम यदु	जिला-बलौदाबाजार	जिला-महासमुन्द	स्वयं के व्यय पर
6.	श्री जगदीश प्रसाद अमरोदिया	तह.कार्या. नगरी जिला धमतरी	जिला-राजनांदगांव	स्वयं के व्यय पर
7.	श्री घनश्याम सिंह राजपूत	तह.कार्या.सहसपुर लोहरा जिला कवर्धा	तह. व जिला दुर्ग	स्वयं के व्यय पर
8.	श्री बाबूलाल सिंह	राजस्व निरीक्षक, तह. व जिला रायगढ़	नजूल कार्या. सक्ती जिला जांजगीर चांपा	स्वयं के व्यय पर
9.	श्री गुरु प्रसाद प्रधान	नजूल कार्या.सक्ती जिला जांजगीर चांपा	तह. रायगढ़ व जिला रायगढ़	स्वयं के व्यय पर
10.	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	डोंगरगांव जिला राजनांदगांव	जिला-दुर्ग	स्वयं के व्यय पर
11.	श्री शत्रुघन प्रसाद चन्द्राकर	जिला-गरियाबंद	धरसीवा, जिला-रायपुर	प्रशासनिक
12.	श्री खोदेश्वर प्रसाद आर्य	राजस्व निरीक्षक नजूल जांजगीर-चांपा	जिला-बिलासपुर	प्रशासनिक

2/ उपरोक्त राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है, कि पदस्थापना जिला पर आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित समयवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3/ संबंधित कलेक्टर, का दायित्व होगा कि स्थानांतरित राजस्व निरीक्षकों को पदस्थापना जिले के लिए तत्काल भारमुक्त करावें (15 दिवस में भारमुक्त नहीं किए जाने पर स्वतः भारमुक्त समझा जावे) तथा भारमुक्ति आदेश की प्रति विभाग को फैक्स नं.-0771-2510122 एवं E-Mail-ID revenue.cg@nic.in पर भेजना सुनिश्चित करें।

4/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रकान्त उडके)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


क्रमशः...02

पृ.क्रमांक-एफ-1-61/2014/सात-4

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2014

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, छत्तीसगढ़ रायपुर.
 2. संभागीय आयुक्त रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा छत्तीसगढ़.
 3. संचालक, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर.
 4. संबंधित, जिला-कलेक्टर, छत्तीसगढ़. कृपया संबंधित राजस्व निरीक्षकों को आदेश प्रति तामिल कराना सुनिश्चित करें.
 5. संबंधित, जिला-कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़.
 6. सर्व संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा कलेक्टर
 7. व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग